

दिनांक 07.09.2021 को कृषि एवं पशुपालन विभाग के समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

दिनांक 07.09.2021 को कृषि, पशुपालन व उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त सभागार—गोण्डा के सभागार में पूर्वान्ह 11.00 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में कृषि विभाग व पशुपालन विभाग के मण्डलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उद्यान विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के सम्बन्ध में बताया गया कि शासन से वीडियोकान्फ्रेन्सिंग होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

कृषि विभागः— सर्वप्रथम फसली ऋण के सम्बन्ध में उपनिदेशक, कृषि—गोण्डा / बहराइच द्वारा बताया गया कि सहकारी बैंक के डिफाल्ट होने के कारण व्यवसायिक बैंकों से ही कार्य कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि गतवर्ष सहकारी बैंकों को धनराशि दी गयी थी, इसके लिये जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित कर जानकारी की जाय। खरीफ, 2021 में मण्डल की प्रगति 64प्रतिशत पायी गयी। सभी उपनिदेशक, कृषि को निर्देशित किया गया कि फसली ऋण वितरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्बन्धित बैंक के एल0डी0एम0 व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाय। जिन कृषकों को ऋण वितरित किया जा रहा है, उनका बीमा भी कराया जाय। किसान केडिट कार्ड वितरण की प्रगति में जनपद—बहराइच (36.50प्रतिशत) व श्रावस्ती (39.98 प्रतिशत) की प्रगति कम पायी गयी। इसकी समीक्षा कर प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। उपनिदेशक, कृषि बहराइच द्वारा बताया गया कि जो कृषक खरीफ में छूट जायें, उन्हे रबी में ऋण वितरित करा दिया जायेगा। सभी उपनिदेशक, कृषि को निर्देशित किया गया कि के.सी.सी. एवं कापलोन के अन्तर्गत ऋण वितरण बैंकों द्वारा आर0बी0आई0 की गाइडलाइन्स के अनुसार कराया जाय।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के अन्तर्गत उपनिदेशक, कृषि, गोण्डा द्वारा बताया गया कि सत्यापन का कार्य चल रहा है। पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण समस्या आ रही है। उपनिदेशक, कृषि, बहराइच द्वारा बताया गया कि जनसेवा केन्द्रों से भी फीडिंग का कार्य किया जा रहा है। समीक्षोपरान्त सभी उपनिदेशक को निर्देशित किया गया कि आधार सीडिंग में जो भी समस्या आ रही हो, उसके सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर जिलाधिकारी से पत्र प्रेषित कराया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि वरासत दर्ज हुये कृषकों एवं कृषक जिन्हे पट्टा आवंटित हुये 10वर्ष से अधिक होने की दशा में उन्हे संकरणीय भूमिधर की श्रेणी में लाकर नियमानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराया जाय।

उपनिदेशक, कृषि बहराइच द्वारा बताया गया कि योजनान्तर्गत 9वीं किश्त किसानों को अवमुक्त हुई है। जो पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में जा रही है। डाटा सुधार हेतु जनपद—बलरामपुर में सबसे अधिक 6799 लम्बित है, उपनिदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि अब 4102 लम्बित रह गये हैं। उपनिदेशक, कृषि बहराइच द्वारा बताया गया कि स्थलीय सत्यापन के समय देखा जा रहा है कि किसान कहीं बाहर काम करने चले गये अथवा सत्यापन के समय उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे उनके अभिलेख व आई0डी0 नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण सत्यापन में समस्या होती है। समीक्षोपरान्त सभी उपनिदेशक, कृषि को निर्देशित किया गया कि यदि कोई समस्या हो तो तत्काल जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये समय से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। डाटा सुधार हेतु लम्बित प्रकरणों को अविलम्ब निस्तारित कराया जाय। आधार कार्ड के सत्यापन में पी.डी.एस. से समन्वय करके निस्तारण कराया जाय।

पराली प्रबन्धन के अन्तर्गत इन सीटू योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों/सहकारी समितियों/गन्ना समितियों इत्यादि को कृषि यन्त्र दिये जाने के सम्बन्ध में जनपद—गोण्डा की प्रगति शून्य होने पर उपनिदेशक, कृषि—गोण्डा द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.09.2021 तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर ली जायेगी। उपनिदेशक, कृषि बलरामपुर द्वारा बताया गया कि अनुमोदन हेतु पत्रावली जिलाधिकारी को भेजी गयी है, 02 दिवस में वितरण हो जायेगा। जनपद—श्रावस्ती के सम्बन्ध में बताया गया कि इलाहाबाद बैंक के इन्डियन बैंक में समायोजित होने की स्थिति में आई.एफ.एस.सी. कोड बदल जाने के कारण समस्या आ रही है, जिसका निस्तारण 03 दिवस में करा लिया जायेगा।

फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बाढ़ क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर सर्वे का कार्य ठीक ढंग से कराया जाय तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रयास कर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित कराया जाय, साथ ही प्रयास कर सभी इच्छुक कृषकों को फसल बीमा से कवर किया जाय। के.सी.सी. के सापेक्ष बीमा कवर की प्रगति अत्यन्त कम है, इसकी समीक्षा कर प्रगति में सुधार लाया जाय। उपनिदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि इस वर्ष की कार्ययोजना आ गयी है, किन्तु लक्ष्य नहीं आया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से पत्र प्रेषित किया गया है। जनपद—गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे भी जिलाधिकारी से सक्षम स्तर पर पत्र प्रेषित कराये।

समीक्षोपरान्त कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभाग के सभी कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जाय तथा प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। कार्य सम्पादन में समस्या होने पर अविलम्ब जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही संयुक्त निदेशक, कृषि/समस्त उपनिदेशक—कृषि)

पशुपालन विभाग— निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि जनपद—गोण्डा में निराश्रित गोवंश की संख्या लगभग 41000 अधिक दर्शायी जा रही है, जिसके लिये मुख्यालय स्तर पर पत्राचार किया गया है, किन्तु अभी संख्या कम नहीं की गयी है। समीक्षा के दौरान जनपद—गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती की प्रगति कम पायी गयी। उपनिदेशक, पशुपालन को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम की गहन समीक्षा करते हुये प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया सभी गोशालाओं में क्षमता से अधिक गोवंश को संरक्षित किया गया है। गौ—आश्रय केन्द्र के निर्माण का कार्य चल रहा है, पूर्ण होने पर उन्हे संचालित कराकर गोवंश को संरक्षित करा लिया जायेगा।

टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि वैक्सीन की कमी होने के कारण समय से टीकाकरण कार्य नहीं हो पा रहा है। सभी जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 50 प्रतिशत ही वैक्सीन मिल रही है, जो उपलब्ध करायी गयी थी, उनमें 80 प्रतिशत उपभोग किया जा चुका है। समीक्षोपरान्त सभी मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया इसकी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित किया जाय तथा टीकाकरण का कार्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कैम्प लगाकर कराया जाय, साथ ही साथ गौ—आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों का शतप्रतिशत टीकाकरण कराया जाय।

२१

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद—गोण्डा /बलरामपुर की प्रगति कम पाये जाने पर उपनिदेशक, पशुपालन को निर्देशित किया गया कि नियमित नियमित समीक्षा करते हुये प्रगति अपेक्षित सुधार लाया जाय।

गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की इयर टैगिंग की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि इयर टैग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु पशुपालक टैग लगाने में हीलाहवाली करते हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी—बहराइच द्वारा बताया गया कि जनपद—बहराइच में पशुपालकों द्वारा कुछ क्षेत्रों में हीलाहवाली किये जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल भेज कर इयर टैगिंग का कार्य कराया गया। उपनिदेशक, पशुपालन को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करते हुये प्रगति अपेक्षित सुधार लाये।

स्थाई गौ—आश्रय केन्द्र निर्माण के अन्तर्गत उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि जनपद—बहराइच में 02 केन्द्र निर्माणाधीन हैं, जिसे 15.09.2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जनपद—गोण्डा/बलरामपुर में 01—01 वृहद गौ—आश्रय केन्द्र निर्माण हेतु अभी तक भूमि का चिन्हांकन नहीं हो पाया है, जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। उपनिदेशक, पशुपालन को निर्देशित किया गया कि भूमि चिन्हांकन हेतु जिलाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये पत्र प्रेषित किया जाय। गया कि भूमि चिन्हांकन हेतु जिलाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये पत्र प्रेषित किया जाय। सदर—गोण्डा के पशुचिकित्सालय में निर्मित हो रहे पालीकलीनिक के सम्बन्ध में उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि माह—अक्टूबर, 2021 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही उपनिदेशक, पशुपालन/समस्त उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।


(एस०वी०एस०रगाराव)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल—गोण्डा।
पत्रांक 216/समीक्षा बैठक/कार्यवृत्त/संविधान 2021-22 दिनांक— 16-09-2021
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— जिलाधिकारी— गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/शावरती।
- 2— मुख्य विकास अधिकारी— बलरामपुर/बहराइच/शावरती/गोण्डा।
- 3— सम्बन्धित मण्डल स्तरीय अधिकारी।
- 4— उपनिदेशक, कृषि—गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/शावरती।
- 5— मुख्य पशुचिकित्साधिकारी—गोण्डा बलरामपुर/बहराइच/शावरती।


संयुक्त विकास आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।